

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 1093 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 02 / 12 / 15)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. विजय पाण्डेय पुत्र गजाधर पाण्डेय, उम्र 24 वर्ष।

निवासी :- ग्राम अंगसोली, थाना :- मौ, जिला-भिण्ड, म.प्र.।

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

( आज दिनांक :- 08 / 12 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी विजय पर धारा : 279 एवं 337 "02 काउण्ट" भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 20/04/15 की रात्रि लगभग 10:30 बजे दउआ का ट्यूवबैल अंगसोली के पास मौ-झोंकरी लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मारुति अल्टो क्रमांक एम.पी. 07/टी.सी./0027 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी सौरभ कटारे एवं आहत पूजा कटारे को उपहति कारित की।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 20/04/15 की रात्रि लगभग 10:30 बजे दउआ का ट्यूवबैल अंगसोली के पास मौ-झोंकरी लोकमार्ग पर, वाहन मारुति अल्टो क्रमांक एम.पी.07/टी.सी./0027 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी सौरभ कटारे एवं पूजा कटारे को टक्कर मारकर उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी सौरभ द्वारा दिनांक : 21/04/2015 को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में वाहन अल्टो क्रमांक एम.पी. 07/टी.सी./0027 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 92/2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपी विजय को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा वाहन मारुति अल्टो क्रमांक एम.पी.07/टी.सी./0027 मय दस्तावेज की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करने पर जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी सौरभ कटारे, आहत पूजा कटारे, विद्यासागर, भूपेन्द्र एवं साक्षी कमलेश के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त विजय पाण्डेय के विरुद्ध धारा 279 एवं 337 "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 337 "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी विजय ने दिनांक :- 20/04/15 की रात्रि लगभग 10:30 बजे दउआ का ट्यूवबैल अंगसोली के पास मौ-झॉकरी लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मारुति अल्टो क्रमांक एम.पी.07/टी.सी./0027 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी सौरभ कटारे अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 17/11/2017 से करीबन दो-ढाई वर्ष पूर्व की होकर रात्रि 10-11 बजे की मौ-झॉकरी रोड की है। साक्षी आगे कहता है कि उस दिन वह अपनी मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.सी./6662 से अपने ग्राम नैनोली वापस जा रहा था। उसी मोटर साईकिल को भूपेन्द्र राणा चला रहा था, वह पीछे बैठा था एवं उसके पीछे पूजा बैठी थी। जब वह अंगसोली के पास पहुँचे तो एक कार ने आकर टक्कर मार दी थी, जिससे उसे एवं पूजा को चोटें आई थी। जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा थाना मौ में लेखबद्ध कराई गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी सौरभ अ.सा.01 ने आरोपी विजय द्वारा दिनांक :- 20/04/15 की रात्रि लगभग 10:30 बजे दउआ का ट्यूवबैल अंगसोली के पास मौ-झॉकरी लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मारुति अल्टो क्रमांक एम.पी.07/टी.सी./0027 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी सौरभ अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा थाना मौ में लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप हैं, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं।

07. आहत/साक्षी पूजा कटारे अ.सा.02 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी विजय पाण्डेय द्वारा दिनांक :- 20/04/15 की रात्रि लगभग 10:30 बजे दउआ का ट्यूवबैल अंगसोली के पास मौ-झॉकरी लोकमार्ग

पर, उसके आधिपत्य के वाहन मारुति अल्टो क्रमांक एम.पी.07/टी.सी./0027 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

08. आरोपी तथा फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी सौरभ अ.सा.01 एवं आहत पूजा अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी विजय पाण्डेय ने दिनांक :- 20/04/15 की रात्रि लगभग 10:30 बजे दउआ का ट्यूवबैल अंगसोली के पास मौ-झॉकरी लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मारुति अल्टो क्रमांक एम.पी.07/टी.सी./0027 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

### अंतिम निष्कर्ष

10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी विजय के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी विजय को धारा 279 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मारुति सुजुकी अल्टो क्रमांक एम.पी.07/टी.सी./0027 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी गजाधर पाण्डेय के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद